संख्या-65/2016/आर-985/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में उपलेखा शीर्षक 17-जनजाति उपयोजना-1703-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-485/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-21.03.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनेत्तर पक्ष में उपलेखाशीर्षक "17-जनजाति उपयोजना-1703-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद" हेतु धनराशि रूपया-7,27,341/-(रूपया सात लाख सत्ताइस हजार तीन सौ इकतालिस मात्र) को संलग्नक चार्ट (बी.एम.9) में उल्लिखित विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुये निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष ब्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें प्राप्त कर ब्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग होने के उपरान्त जो धनराशि बचेगी उसे नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में जमाकर दी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-ब्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-17-जनजाति उपयोजना-1703-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या-ई-3-546/दस-2016 दिनांक-30 मार्च 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0संख्या-65/2016/आर-985(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

5- गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

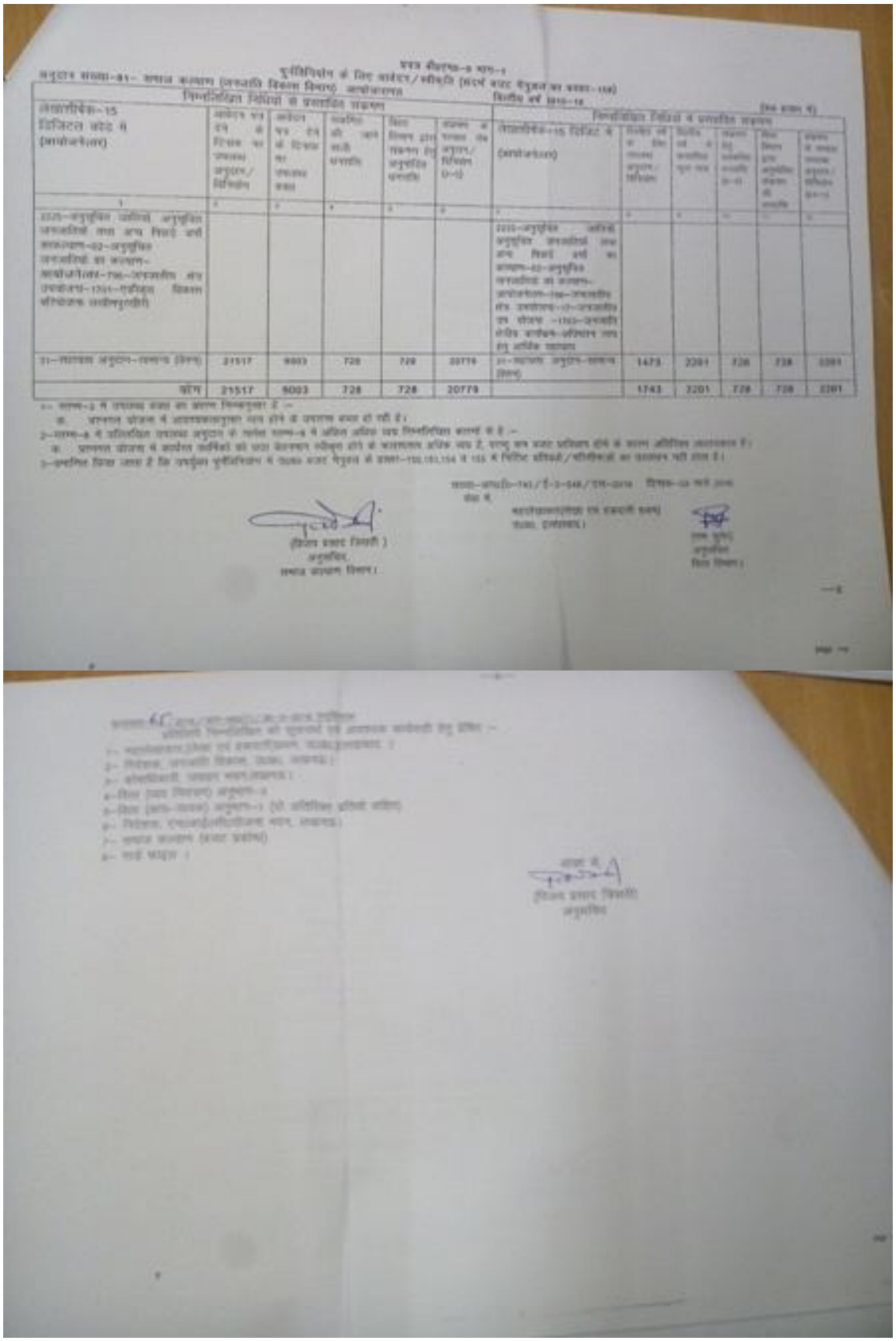

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।